न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 30/2018

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 01/06/2018

निर्णय दिनांक : 22/08/2019

गोविन्द नारायण पुत्र राधाबल्लभ, जाति ब्राहाम्ण, निवासी उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्योकरण पुत्र रामदेव, जाति जाट, निवासी उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. काना पुत्र अर्जुन, जाति जाट, निवासी उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. मोहन सिंह पुत्र स्व0 मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
4. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी

(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री हरीश कुमार साहू
श्री दीपक कुमार दाधीच
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22/08/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि "जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के आराजी खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.31 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 363/2117 रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर, वाके ग्राम उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। पडौसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी एवं प्रार्थी की आराजी को लेकर विवाद है आये दिन मेर सींव को लेकर मेर कोर को लेकर पडौसी काश्तकारों से विवाद नही हो इसलिये प्रार्थीगण अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है, इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार तहसील दूदू के आदेश कमाक एल.आर./2017/1269 दिनांक 17/05/2017 की पालना में उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है, बावजूद इसके अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को अभी मानने से इन्कार कर रहे हैं एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते है इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम उदयपुरिया, तहसील दूदू की सीमाओं पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान कर पालना करवायी जाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 16/04/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दीयात व फर्द सीमाज्ञान आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 45 का प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अन्य जमाबन्दी जो प्रस्तुत की है, उससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पडौसी खातेदार होना साबित होते हैं। चूंकि प्रार्थी अपनी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण व पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजीयात पर जबरन कब्जा काश्त करना चाहते है एवं पत्थरगढी नही करवाना चाहते है, इसलिये प्रार्थी ने अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 बावजूद तामिल न तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया न ही अपनी ओर से कोई जवाब एवं आपत्ति पेश की। तहसीलदार दूदू के सीमाज्ञान आदेश की पालना में उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी किया जा चुका हैं। चूंकि प्रार्थी अपनी आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 जो कि विवादित आराजी के पडौसी खातेदार है, जो बावजूद तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति ही पेश की गयी। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363/2117 रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर वाके ग्राम उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/8/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

Scanned by CamScanner